भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 587

बुधवार, 20 दिसम्बर, 2017/29 अग्रहायण, 1939 (शक)

विदेशों में काम करने वाले भारतीयों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत शामिल किया जाना

587. श्री ए.के. सेल्वाराज:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में काम करने वाले भारतीय अब अपने मेजबान देश की सामाजिक सुरक्षा योजना से खुद को बाहर करके सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त लाभ उठाने हेतु एक ऑनलाईन सुविधा भी शुरू की गयी है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस संबंध में अट्ठारह देशों के साथ एक समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, हां। यह सुविधा उन भारतीय कामगारों को उपलब्ध है जिनकी प्रतिनियुक्ति उनके नियोक्ता द्वारा ऐसे देशों में की गई है जिनके साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा समझौता (एसएसए) किया है तथा वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से कवरेज का प्रमाण-पत्र (सीओसी) लेते हैं।

(ग): कवरेज का प्रमाण-पत्र (सीओसी) प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा ईपीएफओ द्वारा शुरु की गई है।

(घ) और (ड.): भारत ने 18 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते किए हैं, नामत:

(i) ऑस्ट्रेलिया, (ii) ऑस्ट्रिया, (iii) बेलजियम, (iv) कनाडा, (v) चेक गणराज्य, (vi) डेनमार्क, (vii) फिनलैंड, (viii) फ्रांस, (ix) जर्मनी, (x) हंगरी, (xi) जापान, (xii) कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया), (xiii) लगजमबर्ग, (xiv) नीदरलैंड्स, (xv) नार्वे, (xvi) पुर्तगाल, (xvii) स्वीडन और (xviii) स्वीट्जरलैंड ।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1055

बुधवार, 27 दिसम्बर, 2017/6 पौष, 1939 (शक)

ईटीएफ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निवेशों से मिलने वाला प्रतिलाभ

1055. श्रीमती शशिकला पुष्पा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निफ्टी 50, सेंसेक्स और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) सूचकांकों पर आधरित एक्स्चेंज ट्रेडेड निधियों (ईटीएफ) में निवेश की गई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निधि (ईपीएफ) के कुछ हिस्से पर अच्छा प्रतिलाभ अर्जन की आशा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने निवेश किया है तथा निवेश की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन निवेशों पर अपेक्षित प्रति लाभ का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क और ख): निफ्टी 50, सेंसेक्स और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सूचकांकों पर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में निवेश पर प्रतिलाभ स्टॉक बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं।

यथा 30 नवंबर, 2017 को ईटीएफ में निवेशों पर कल्पित प्रतिलाभ 18.94% था।

(ग और घ): यथा 30 नवंबर, 2017 को विभिन्न ईटीएफ में निवेश राशि का विवरण निम्नानुसार है:

ईटीएफ	रुपये करोड़ में
एसबीआई निफ्टी 50	19530.02
एसबीआई सेंसेक्स	6620.74
यूटीआई निफ्टी 50	4054.55
यूटीआई सेंसेक्स	1377.03
सीपीएसई	1807.81
भारत 22	2024.75
कुल	**35,414.90**

इन निवेशों से प्रतिलाभ स्टॉक बाजार के प्रदर्शन पर आधारित है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1056

बुधवार, 27 दिसम्बर, 2017 / 6 पौष, 1939 (शक)

घर खरीदने के लिए ईपीएफ योजना में संशोधन

1056. श्री आर. वैद्यलिंगम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना को संशोधित करेगी ताकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लगभग 4 करोड़ सदस्य, घर खरीदने के लिए एकमुश्त राशि के भुगतान हेतु अपनी निधि का 90 प्रतिशत तक आहरित कर सकें;

(ख) क्या उक्त संशोधन से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाभार्थी गृह ऋण के बराबर मासिक किश्तों के भुगतान के लिए भी अपने क.भ.नि. खातों का प्रयोग कर सकेंगे; और

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रस्तावित प्रावधन के अधीन लाभार्थियों को कम से कम 10 सदस्यों के साथ एक सहकारी सोसाइटी बनानी पड़ेगी ताकि वे सुविधा का लाभ ले सकें?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): घर अथवा फ्लैट खरीदने अथवा घर निर्माण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से आहरण करने हेतु सरकार ने दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के अधिसूचना सं.सा.का.नि. 351(अ) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 में अनुच्छेद 68खघ प्रविष्ट किया है।

भविष्य निधि से निकासी की राशि नियोक्ता के हिस्से के अंशदान और उस पर ब्याज तथा कर्मचारी के हिस्से के अंशदान और उस पर ब्याज पर 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस योजना में परिकल्पना की गई है कि कोई सदस्य अथवा सदस्य का विवाहिती अथवा सदस्य और विवाहिती संयुक्त रूप से अपने नाम पर ऋण का कोई बकाया मूलधन अथवा ब्याज के पूर्णतया अथवा आंशिक, पुनर्भुगतान हेतु मासिक किश्त को अधिकृत कर सकते हैं।

यह भुगतान आवासीय एजेंसी अथवा प्राथमिक ऋणदाता एजेंसी अथवा संबंधित बैंक आदि को सदस्य की ओर से किया जा सकता है।

अभिदाता को तत्समय लागू किसी कानून के तहत आवास के प्रयोजनार्थ पंजीकृत किसी सोसाइटी अथवा सहकारी सोसाइटी का सदस्य होना चाहिए जिस सोसाइटी में कम से कम दस निधि के सदस्य हो।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1073

बुधवार, 27 दिसम्बर, 2017 / 6 पौष, 1939 (शक)

स्थावर संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) में भविष्य निधि की धनराशि का निवेश

1073. श्रीमती वानसुक साइम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि के ग्राहक अपनी सेवानिवृत्ति की राशि पर अल्प लाभ अर्जित करते हैं क्योंकि अदूरदर्शी तथा पुराने निवेश नियमों के कारण भविष्य निधि की राशि का निवेश निजी इक्विटी, म्युचुअल फंड और स्थावर संपदा निवेश न्यासों (आरईआईटी) में किया जाना निषिद्घ है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को 15% तक सीमित कर दिया है जबकि दुनिया भर में सार्वजनिक निधि का आरईआईटी में निवेश बढ़ रहा है जहां पर ईपीएफओ ने अपनी निवेश की राशि पर 5% की सीमा लगा दी है; और

(ग) क्या सरकार, कामगारों के बेहतर प्रतिलाभ के लिए अपनी मजदूरी तथा वेतन से अपनी अनिवार्य बचत को राष्ट्रीय पेंशन योजना में हस्तांतरित करने की अनुमति देगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, नहीं। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश पैटर्न पर आधारित दिशा-निर्देश तय करता है ताकि न्यूनतम जोखिम के साथ अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। विगत वर्षों में, ईपीएफ अभिदाताओं द्वारा अर्जित ब्याज-दर लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) इत्यादि जैसी सदृश बचत योजनाओं के अंतर्गत अर्जित ब्याज-दर से अधिक है।

(ख): वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निवेश योग्य धनराशि का 15 प्रतिशत एक्सचेंज ट्रेडेड फण्ड्स (ईटीएफ) में निवेश करता है जो सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश के ढांचे के अनुसार अधिकतम अनुमत सीमा है।

(ग): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1074
बुधवार, 27 दिसम्बर, 2017/6 पौष, 1939 (शक)

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

1074. श्री राम विचार नेतामः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं और अब तक इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत इसके शुरुआत से छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले उद्योगों/प्रोत्साहित किए गए नियोक्ताओं की संख्या कितनी है तथा उद्योग/क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या कितनी-कितनी है;
(ग) उक्त योजना को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को दी गई तथा उपयोग की गई निधियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश में रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए/बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगारों को प्रोत्साहन देना है। बेरोजगार व्यक्तियों को भर्ती करने के लिए तथा अनौपचारिक कर्मचारियों को औपचारिक बनाने के लिए भी नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

भारत सरकार नए रोजगार के संबंध में नियोक्ता के कर्मचारी पेंशन स्कीम अंशदान का 8.33% का भुगतान कर रही है। योजना 09.08.2016 से प्रारंभ की गई। योजना योग्य नए कर्मचारियों हेतु नए यूएएन प्राप्त करने अथवा दिनांक 09.08.2016 से पहले तीन वर्ष, जो भी बाद में हो, लागू रहेगी, बशर्ते वे किसी ईपीएफओ पंजीकृत संस्थापना में रोजगार में लगे हों। योजना का एक सीधा लाभ यह है कि नए कामगारों की संगठित क्षेत्रों की सामाजिक सुरक्षा लाभ तक पहुंच होगी।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में योजना के प्रारंभ से पीएमआरपीवाई के तहत लाभ प्राप्त प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं की संख्या 20/12/2017 को 300 है। उद्योग-वार/जिला-वार ब्यौरे अनुबंध-। में हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लाभार्थियों की संख्या 20/12/2017 को 9487 है। उद्योग-वार/जिला-वार ब्यौरे अनुबंध-।। में हैं।

(ग) योजना के लिए प्रदान की गई निधियां समग्र रूप से है न कि जिला-वार। तथापि, 20.12.2017 को योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में उपयोग की गई निधियां 13661977 रु. है।

(घ) रोजगार वृद्धि सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। रोजगार वृद्धि आर्थिक विकास का कारण और परिणाम दोनों हैं और यह जनांकीकिय बदलाव और प्रौद्योगिकीय अंतराल से प्रभावित होता है।

सरकार ने देश में रोजगार सृजन हेतु विभिन्न उपाय किए हैं - जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से निष्पादित करना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजेन.रेगा), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीन दयाल अन्तोदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजीटल इंडिया योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इनसे रोजगार का आधार बढ़ने की संभावना है। स्व-रोजगार को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा एवं स्टार्ट अप्स योजनाएं आरंभ की गई हैं।

वस्त्र क्षेत्र, जो एक रोजगार गहन क्षेत्र है, के लिए भी सरकार ने 6000 करोड़ रुपए के बूस्टर पैकेज की घोषणा की है।

सरकार ने राष्ट्रीय आजीविका सेवा (एनसीएस) परियोजना को भी कार्यान्वित किया है, जिसमें रोजगार संबंधी सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध होने के साथ-साथ रोजगार चाहने वालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एवं पोस्टिंग हेतु एक पोर्टल (www.ncs.gov.in) भी विद्यमान है।

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 27.12.2017 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1074 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

छत्तीसगढ़ में प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत लाभग्राही संस्थापनाएं

		अनुबंध-क
		छत्तीसगढ़ राज्य
उद्योग	जिला	**लाभग्राही स्थापनाएं**
फेरो मैंगनीज	रायपुर	1
विशेषज्ञ सेवाएं	रायपुर	37
मुर्गी पालन	रायपुर	2
विशेषज्ञ सेवाएं	दुर्ग	4
स्कूल	महासमुंद	2
सड़क मोटर परिवहन	बिलासपुर	1
होटल	बिलासपुर	1
अग्रेषण अभिकरण	रायपुर	1
स्कूल	बलरामपुर	1
स्कूल	रायगढ़	1
स्कूल	जंजीर - चैम्पा	6
विद्युत (जी, टी, डी)	रायपुर	1
स्कूल	रायपुर	6
कॉलेज	रायपुर	4
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	धमतरी	2
विशेषज्ञ सेवाएं	बिलासपुर	5
पेट्रोलियम / नाइट्रोजन गैस उत्पादन	रायपुर	1
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	रायगढ़	3
पेंट्स - वार्निश	रायपुर	1
स्कूल	मुंगेली	2
कागज के सामान	रायपुर	1
सीमेंट	रायपुर	1
लोहा और इस्पात	रायपुर	6
टाइल्स	रायपुर	1
विद्युत, यांत्रिक या जेन. इंजीनियरिंग उत्पाद	बिलासपुर	1
रोटी	रायपुर	1
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	कोरबा	2
स्कूल	दुर्ग	7
सड़क मोटर परिवहन	रायपुर	4
अस्पताल	बिलासपुर	2
विशेषज्ञ सेवाएं	कोरबा	1
लोहा और इस्पात	दुर्ग	3
दूध के उत्पाद	रायपुर	2
काष्ठ कार्यशाला	रायपुर	2
अस्पताल	कोरबा	1
मुद्रण	रायपुर	1

स्कूल	जशपुर	1
भवन और निर्माण उद्योग	कोरबा	2
निर्माण, रखरखाव, संचालन के लिए रेलवे में लगे प्रतिष्ठान	कोरबा	1
विशेषज्ञ सेवाएं	रायगढ़	4
विद्युत, यांत्रिक या जेन. इंजीनियरिंग उत्पाद	बलोड़ा बाज़ार	1
विशेषज्ञ सेवाएं	जंजीर - चैम्पा	7
अस्पताल	रायगढ़	1
चावल मिलिंग	बिलासपुर	1
विद्युत, यांत्रिक या जेन. इंजीनियरिंग उत्पाद	दुर्ग	4
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	दुर्ग	5
ऑटोमोबाइल सर्विंग	रायपुर	4
न्यूज़ैपर स्थापनाएं	रायपुर	3
बीड़ी मेर्किंग	रायपुर	1
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	जंजीर - चैम्पा	2
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	बिलासपुर	4
रबर उत्पाद	दुर्ग	1
रीफ्रैक्टरीज	दुर्ग	1
वित्तपोषण प्रतिष्ठान	रायपुर	1
कारोबार - व्यावसायिक प्रतिष्ठान	बिलासपुर	3
भवन और निर्माण उद्योग	रायगढ़	1
विद्युत, यांत्रिक या जेन. इंजीनियरिंग उत्पाद	कोरबा	1
सड़क मोटर परिवहन	जंजीर - चैम्पा	1
ऑटोमोबाइल सर्विंग	दुर्ग	2
स्कूल	बलोड़ा बाज़ार	1
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	रायपुर	15
भवन और निर्माण उद्योग	रायपुर	12
स्कूल	बिलासपुर	6
कारोबार - व्यावसायिक प्रतिष्ठान	दुर्ग	2
अन्य	रायपुर	1
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	जशपुर	1
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	सरगुजा	1
स्कूल	बीजापुर	1
मैडिकल चिकित्सकों	रायपुर	1
होटल	रायपुर	8
लोहा और इस्पात	रायगढ़	3
स्वच्छता, स्वीपिंग सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान	कोरबा	1
अस्पताल	रायपुर	6
खाने की दुकान	रायपुर	3
ईंटों	रायपुर	1
पेंट्स - वार्निश	बिलासपुर	1
भंडारण, परिवहन या पेट्रोल / प्राकृतिक गैस का स्थान	दुर्ग	2
बीड़ी मेर्किंग	कांकेर (उत्तरी बस्तर)	1

स्वच्छता, स्वीपिंग सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान	बिलासपुर	1
स्वच्छता, स्वीपिंग सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान	राजनंदगांव	1
वस्त्र	रायपुर	2
कारोबार - व्यावसायिक प्रतिष्ठान	रायपुर	20
ईएलईसी, मेक या जेन. इंजीनियरिंग उत्पाद	रायपुर	6
विशेषज्ञ सेवाएं	बलोड़ा बाज़ार	8
काष्ठ संरक्षण संयंत्र	रायपुर	1
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	राजनंदगांव	1
प्लास्टिक उत्पाद	रायपुर	7
भारी - ठीक रसायन	रायपुर	4
स्कूल	कोरबा	8
कागज	रायपुर	1
भवन और निर्माण उद्योग	राजनंदगांव	1
ऑटोमोबाइल सर्विंग	बस्तर	1
सड़क मोटर परिवहन	दुर्ग	1
कुल		**300**

अनुबंध-II

राज्य सभा के दिनांक 27.12.2017 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1074 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

छत्तीसगढ़ में उद्योगवार/जिलावार लाभग्राहियों की संख्या

		अनुबंध-ख
		छत्तीसगढ़ राज्य
उद्योग	जिला	अद्वितीय यूएएन
विशेषज्ञ सेवाएं	रायपुर	781
विशेषज्ञ सेवाएं	दुर्ग	59
स्कूल	महासमुंद	50
सड़क मोटर परिवहन	बिलासपुर	68
होटल	बिलासपुर	12
अग्रेषण अभिकरण	रायपुर	26
स्कूल	बलरामपुर	15
स्कूल	रायगढ़	19
फेरो मैंगनीज	रायपुर	11
मुर्गी पालन	रायपुर	3
स्कूल	रायपुर	127
कॉलेज	रायपुर	344
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	धमतरी	193
विशेषज्ञ सेवाएं	बिलासपुर	39
पेट्रोलियम / नाइट्रोजन गैस उत्पादन	रायपुर	50
स्कूल	जंजीर - चैम्पा	114
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	रायगढ़	186
स्कूल	मुंगेली	14
पेंट्स - वार्निश	रायपुर	14
विद्युत (जी, टी, डी)	रायपुर	4
कागज के सामान	रायपुर	12
लोहा और इस्पात	रायपुर	177
सीमेंट	रायपुर	9
टाइल्स	रायपुर	13
विद्युत, यांत्रिक या जेन. इंजीनियरिंग उत्पाद	बिलासपुर	45
रोटी	रायपुर	20
स्कूल	दुर्ग	154
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	कोरबा	178
सड़क मोटर परिवहन	रायपुर	27
अस्पताल	बिलासपुर	16
विशेषज्ञ सेवाएं	कोरबा	2
दूध के उत्पाद	रायपुर	86
काष्ठ कार्यशाला	रायपुर	34

अस्पताल	कोरबा	53
लोहा और इस्पात	दुर्ग	44
भवन और निर्माण उद्योग	कोरबा	15
निर्माण, रखरखाव, संचालन के लिए रेलवे में लगे प्रतिष्ठान	कोरबा	19
विशेषज्ञ सेवाएं	जंजीर - चैम्पा	887
विशेषज्ञ सेवाएं	रायगढ़	58
मुद्रण	रायपुर	3
स्कूल	जशपुर	3
विद्युत, यांत्रिक या जेन. इंजीनियरिंग उत्पाद	बलोड़ा बाज़ार	2
अस्पताल	रायगढ़	1
चावल मिलिंग	बिलासपुर	2
विद्युत, यांत्रिक या जेन. इंजीनियरिंग उत्पाद	दुर्ग	74
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	दुर्ग	150
ऑटोमोबाइल सर्विंग	रायपुर	159
बीड़ी मेकिंग	रायपुर	106
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	बिलासपुर	117
रबर उत्पाद	दुर्ग	13
रीफ्रैक्टरीज	दुर्ग	14
वित्तपोषण प्रतिष्ठान	रायपुर	52
कारोबार - व्यावसायिक प्रतिष्ठान	बिलासपुर	83
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	जंजीर - चैम्पा	20
भवन और निर्माण उद्योग	रायगढ़	7
विद्युत, यांत्रिक या जेन. इंजीनियरिंग उत्पाद	कोरबा	3
सड़क मोटर परिवहन	जंजीर - चैम्पा	211
ऑटोमोबाइल सर्विंग	दुर्ग	10
स्कूल	बलोड़ा बाज़ार	10
न्यूज़पेपर स्थापनाएं	रायपुर	25
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	रायपुर	941
भवन और निर्माण उद्योग	रायपुर	153
अन्य	रायपुर	18
कारोबार - व्यावसायिक प्रतिष्ठान	दुर्ग	116
स्कूल	बिलासपुर	79
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	जशपुर	11
स्कूल	बीजापुर	21
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	सरगुजा	5
मैडिकल चिकित्सकों	रायपुर	8
होटल	रायपुर	127
अस्पताल	रायपुर	141
ईंटों	रायपुर	6
पेंट्स - वार्निश	बिलासपुर	7
लोहा और इस्पात	रायगढ़	25
खाने की दुकान	रायपुर	44
भंडारण, परिवहन या पेट्रोल / प्राकृतिक गैस का स्थान	दुर्ग	30

बीड़ी मेकिंग	कांकेर (उत्तरी बस्तर)	28
स्वच्छता, स्वीपिंग सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान	बिलासपुर	24
स्वच्छता, स्वीपिंग सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान	कोरबा	7
स्वच्छता, स्वीपिंग सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान	राजनंदगांव	7
वस्त्र	रायपुर	942
विद्युत, यांत्रिक या जेन. इंजीनियरिंग उत्पाद	रायपुर	158
कारोबार - व्यावसायिक प्रतिष्ठान	रायपुर	1081
काष्ठ संरक्षण संयंत्र	रायपुर	5
विशेषज्ञ सेवाएं	बलोड़ा बाज़ार	161
स्कूल	कोरबा	108
प्लास्टिक उत्पाद	रायपुर	53
भवन और निर्माण उद्योग	राजनंदगांव	7
ऑटोमोबाइल सर्विंग	बस्तर	53
भारी - ठीक रसायन	रायपुर	69
सड़क मोटर परिवहन	दुर्ग	6
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग ठेकेदारों	राजनंदगांव	2
कागज	रायपुर	1
कुल		**9487**

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1864

बुधवार, 03 जनवरी, 2018/ 13 पौष, 1939 (शक)

कर्मचारियों की मृत्यु पश्चात दिए जाने वाले लाभ

1864. श्रीमती रजनी पाटिल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों/कारखानों के कर्मचारियों की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्तियों को कौन-कौन से भत्ते दिए जाते हैं और इसमें कितना समय लगता है;

(ख): क्या सरकार को जानकारी है कि 'स्टोर्क रब्बर प्रोडक्टस प्रा. लि.' 38 किमी. रा.रा.-8, बेहरामपुर रोड, गांव एवं पोस्ट-खन्सडा, गुड़गांव, हरियाणा-122001 के कर्मचारियों की मृत्यु के दो वर्ष बीत जाने और संबंधित सभी दस्तावेज जमा करने के बाद भी नामित व्यक्तियों को अब तक कोई भत्ता नहीं मिला है;

(ग): यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(घ): इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): किसी निजी लिमिटेड कंपनी/कारखाना/प्रतिष्ठान में नियोजित किसी कर्मचारी/कामगार की मृत्यु की स्थिति में, यदि सभी दस्तावेज पूरे हैं तो, मृतक कर्मचारी के मनोनीत व्यक्ति को निम्नलिखित भत्ते प्रदान किए जाते हैं:

I. मृत्यु के एक माह के भीतर उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4 के अनुसार उपदान।

II. अर्जित मजदूरी, समयोपरि, अवकाश मजदूरी, लंबित बोनस जैसी शेष राशि तत्काल देय है।

।।।. यदि मृतक कामगार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवर किए गए हैं तो प्रतिकर/भत्ते और पेंशन लाभों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी/कामगार के मनोनीत व्यक्ति/ व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे। यदि कर्मचारी/कामगार ईएसआई के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं तो मुआवजे का निर्धारण कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त द्वारा न्यनूतम तीन महीने की अवधि के भीतर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम,1923 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत नियत उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

।v. उपर्युक्त सांविधिक उपबंधों के अतिरिक्त, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड मृतक कामगार/ कामगारों जिनकी मृत्यु प्रतिष्ठान/कारखाना के परिसर में हुई है, के आश्रित/आश्रितों को पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मृतक कामगारों के विधवा/आश्रितों को 2 लाख रुपये और आश्रितों को दाह संस्कार के लिए 15 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।

(ख) से (घ): यह मामला राज्य क्षेत्र का है और हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करवाई हैं:

।. किसी कर्मचारी की गत पांच वर्षों के दौरान नियोजन के दौरान मृत्यु नहीं हुई।
।।. मजदूरी संदाय अधिनियम,1936 की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ था।
।।।. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ था।
।v. कोई दुर्घटना/प्राकृतिक मृत्यु उस कंपनी में दर्ज नहीं की गई है।

हालाँकि, कामगार नामत: स्वर्गीय श्री कुमोध कंवर और स्वर्गीय श्री संदीप कुमार नेगी की मृत्यु इकाई में उनके नियोजन के दौरान नहीं बल्कि कारखाना परिसर के बाहर हुई थी और उनकी प्राप्य राशि का उनके आश्रितों को यथासमय भुगतान कर दिया गया था।

*****